संख्या-69/2017/आर-528/26-3-2017-4(7)/2015

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 02 मई, 2017

विषयः- रिट याचिका संख्या-6582/2017 सन्तलखनदास नागाबाबा पच्चोत्तर महाविद्यालय, मरदह, गाजीपुर बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-13.02.2017, रिट याचिका संख्या-12019/2015 कमेटी आफ मैनेजमेन्ट विमला रमाशंकर डिग्री कालेज गाजीपुर बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-26.02.2015 तथा रिट याचिका संख्या-10710/2017 हेमन्त कुमार बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-08.03.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्रांक-5487/सक/शिक्षा-अ/16-17, दिनांक-23.02.2017, पत्रांक-5488/स.क./शिक्षा-अ/2016-17, दिनांक-23.02.2017 एवं पत्रांक-6079/स.क./शिक्षा-अ/2017-18, दिनांक-06.04.2017 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिकाओं में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-13.02.2017/26.02.2015 एवं आदेश दिनांक-08.03.2017 के अनुपालन में याची शिक्षण संस्थाओं/छात्रों की वर्ष 2013-14 की अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की देय पायी गयी कुल धनराशि (रूपया-1903570+2760510+57080) रूपया-47,21,160/-(रूपया सैतालिस लाख इक्कीस हजार एक सौ साठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में शासनादेश संख्या-61/2017/923/26-3-2017-4(56)/96टी.सी., दिनांक-26.04.2017 द्वारा निर्गत करके आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- उक्त स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 एवं शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक-20.03.2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय
कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0 संख्या-69/2017/आर-528(1)/26-3-2017 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, गाजीपुर।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, गाजीपुर।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in